शहीदों की वीरांगनाओं को न्याय दे सरकार, वादों के अनुसार माँगें हों पूरी : किरोड़ी लाल

जयपुर। वीरांगनाओं का दर्द सुन भावुक हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से माँग की है कि पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों की लंबित माँगो को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इस संबंध में सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा।

डॉक्टर किरोड़ी मीणा मंगलवार को वीरांगनाओं ओर उनके परिजनों के साथ विधानसभा के गेट नंबर 6 पर पहुंचे। अचानक मीणा को देख पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। गेट से मीणा को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा। इस मौक़े पर पुलिस अधिकारी भरतलाल ने धक्का-मुक्की और वीरांगनाओं से अभद्रता की। इससे किरोड़ी लाल ग़ुस्से में आए ओर पुलिस प्रशासन और किरोड़ी में ज़बरदस्त बहस हुई। लगभग 2:15 बजे मीणा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही अमर जवान ज्योति के लिए रवाना हो गए। जहां पुलिस और मीणा के समर्थकों में एक बार फिर बहस हो गई। इस दौरान मीणा के कुछ समर्थकों के कपड़े भी फट गए। इससे नाराज होकर मीणा ने पुलिस को जमकर खरी-खोटी सुनाई। शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं के साथ पहुँच धरने पर बैठे। पुलिस आयुक्तालय में सरकार के प्रतिनिधि गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल की वार्ता हुई, पर असफल रही।

धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीना ने बताया कि 14 फरवरी 2019 की देश की सीमाओं की रक्षा करने हेतु सीआरपीएफ की एक टुकड़ी जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। इस पर अचानक हुए आतंकी हमले में राजस्थान के पांच वीरजवान शहीद हुए थे। उस समय शहीदों के अंतिम संस्कार में राज्य सरकार के कुछ मंत्री दाह संस्कार में शामिल होकर शहीदों की वीरांगनाओं व परिजनों को हजारों लोगों की उपस्थिति में बड़े-बड़े आश्वासन दिये थे। आज चार वर्ष पूरे होने के बाद भी शहीदों के परिजनों से किये गये वादों को राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। वीरांगनाएं दर-दर की ठोकरें खा रही हैं।

पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों की वीरांगनाओं की माँगों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गये। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने वीरांगनाओं के साथ धक्का-मुक्की की। इससे मीणा नाराज होकर पुलिस से भिड़ गये।

वकीलों के न्यायिक बहिष्कार को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर बीते एक सप्ताह से अधिक समय से

- **हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में वकीलों ने अपना न्यायिक बहिष्कार जारी रखा**

वकीलों की ओर से किए जा रहे न्यायिक बहिष्कार को लेकर बार कौंसिल ऑफ इंडिया सहित अन्य से दो मार्च तक जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकील हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट बार ने उन्हें पत्र लिखकर अदालत में पैरवी नहीं करने की बात कही है। इसके अलावा आज सुबह भी वकीलों ने उन्हें अदालत में नहीं जाने को कहा। वहीं जोधपुर में भी वकील पूरी तरह न्यायिक बहिष्कार कर रहे हैं। इसका विरोध करते हुए प्रहलाद शर्मा ने कहा कि महाधिवक्ता प्रदेश के अधिवक्ताओं की मुखिया की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन्हें एसोसिएशन के समर्थन में आकर कोर्ट में पैरवी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की कह सकते हैं। जबकि उनकी ओर से अदालत में पेश होकर पैरवी की जा रही है। दूसरी ओर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता सीएल सैनी ने कहा कि गत 25 फरवरी को कौंसिल की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें तय किया गया कि सभी बार संघों को न्यायिक बहिष्कार वापस लेने के लिए कहा जाएगा और एक्ट लागू करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। अदालत के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वकील हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीआई व अन्य को मामले में जवाब पेश करने को कहा है।

वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में वकीलों ने अपना न्यायिक बहिष्कार जारी रखा। इस दौरान अदालत परिसर में वकीलों ने सुंदरकांड के पाठ किए।

राजेंद्र राठौड़ ने सदन में उठाया वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिये उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।

राठौड़ ने कहा कि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में वकील जुगराज चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर की 800 अदालतों में वकील हड़ताल पर हैं। इससे हजारों पक्षकार परेशान हो रहे हैं, जमानतें अटक गई हैं। इससे कई लोग जेलों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जुगराज चौहान जैसे मामले कई बार हुए हैं। चार साल में दर्जनों बार ऐसे मामले हुए हैं, जब एक पक्षकार की पैरवी करने पर दूसरे पक्षकार ने वकील पर हमला किया। सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना पुरानी मांग है। जनघोषणा पत्र में वादा करने के अलावा बजट में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान में तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वकीलों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की ड्यूटी है।

राजस्थान बेरोजगारी मामले में देश में दूसरे नंबर पर क्यों? : डॉ.सतीश पूनियां

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश बेरोजगारी मामले में देश में दूसरे नंबर पर क्यों है। इस पर युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हुए हैं।

- **विधानसभा में पूछे गये प्रश्न पर मंत्री चांदना ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा**
- **'भत्ता बढ़ने से बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किये हैं, स्क्रूटनी के बाद ही पता लग पाता है कि वे बेरोजगार हैं या नहीं'**

उन्होंने कहा जब से बेरोजगारी भत्ता 3500 और फिर 4000 से 4500 प्रतिमाह किया। तब से चाहे बेरोजगार हैं या नहीं, बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं। स्क्रूटनी के बाद ही पता लग पाता है कि वे बेरोजगार हैं या नहीं। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होना ही है।

चांदना ने सदन में बताया कि 21 फरवरी तक के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 18 लाख 40 हजार 44 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 11 लाख 22 हजार 090 और महिलाओं की संख्या 7 लाख 17 हजार 555 और अन्य 399 है। 21 फरवरी 2023 तक कुल 6 लाख 22 हजार 043 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। इसमें से वर्तमान में 1,90,873 पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। कुल लाभार्थी 6 लाख 90 हजार हैं। 10 लाख आठ हजार शिक्षित बेरोजगारों ने अप्लाई किया। इनमें से 2.65 लाख आवेदन अधूरे थे। 1.90 लाख को बेरोजगारी भत्ता चालू है।

डॉ. पूनियां ने छात्रसंघ नेताओं से संवाद किया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने 4 मार्च को प्रदेश के पेपर लीक मामलों को लेकर युवा मोर्चा की अगुवाई में होने वाले विशाल विधानसभा घेराव आंदोलन की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर के छात्रसंघ नेताओं के साथ संवाद किया। डॉ. पूनियां ने कहा कि, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के साढ़े चार साल के कुशासन में बार-बार पेपर लीक के मामलों से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश का युवा अवसाद में है।

केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए : राज्यवर्धन सिंह राठौड़

जयपुर। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे बाद बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। भाजपा ने नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफे की मांग की है।

- **मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग**

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लग रहे हैं। वह अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। केजरीवाल का नाम भी चार्जशीट में है उन्हें भी अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि 9 महीने से जो मनीष सिसोदिया पर चार्ज लगा था। उसके बचाव में अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितनी बात कही, लेकिन आज जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। क्या चोरी करने का हौसला बढ़ाने की बात करते थे केजरीवाल। राठौड़ ने कहा कि चार्जशीट के अंदर केजरीवाल का भी नाम है। जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं उससे काम नहीं चलने वाला। अरविंद केजरीवाल को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सब काम उनके इशारे पर हो रहा है। 3000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।